न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /II/2016 जिला–दतिया

आनन्द कुमार पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप राय, निवासी ग्राम कुडराया, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

हाल निवास आबाद 158, आजादगंज, सीपरी बाजार, झाँसी (उ.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

धर्मेन्द्र कुमार राय पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप राय, निवासी ग्राम कुडराया, तहसील व जिला दतिया (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार, तहसील व जिला दतिया द्वारा प्रकरण क्रमांक 15/अ–6अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2016 के विरूद्ध म. प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवदेक की ओर से आवेदन–पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त :–

1– यहकि, अनावेदक धर्मेन्द्र कुमार द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील व जिला दतिया के समक्ष भू–राजस्व संहिता की धारा 115–116 के तहत् प्रस्तुत कर बताया कि भूमि सर्वे नं. 35,38,40 कुल किता 3 कुल रकवा 8.69 है0 स्थित ग्राम कुडराया में आवेदक के नाम में हुयी त्रुटि का सुधार किया जाये।

2– यहकि, उपरोक्त आवेदन पत्र की जानकारी आवेदक को प्राप्त होने पर उसकी ओर से अभिभाषक द्वारा उपस्थित होकर अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया एवं आवेदन पत्र का जबाव प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग की गयी। जो प्रदान न करते हुये आगामी पेशी तर्क हेतु नियत कर दी जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक विविध आवेदन पत्र प्रकरण क्रमांक 929/दो/2016 प्रस्तुत किया गया था। जो माननीय न्यायालय द्वारा ग्राह्यता द्वारा विचार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का अभिलेख बुलाये जाने का आदेश पारित किया जिसके संबंध में अभिलेख बुलाये जाने

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1229/दो/2016 जिला–दतिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.4.16	यह निगरानी तहसीलदार, दतिया के प्रकरण क्रमांक 15अ6अ/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक धर्मेन्द्र कुमार राय पुत्र रामस्वरूप राय, निवासी ग्राम कुड़राया के द्वारा तहसीलदार, दतिया के समक्ष एक आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 एवं 116 के तहत ग्राम कुड़राया, तहसील व जिला दतिया की आराजी सर्वे क्रमांक 35, 38, 40 कुल किता 3 कुल रकवा 8.69 हैक्टेयर भूमि में हुई त्रुटि का सुधार कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त भूमि के पुराने सर्वे क्रमांक 77 एवं 73 थे, जिसके संबंध में अनावेदक धर्मेन्द्र कुमार राय ने अपने आवेदन में यह लेख किया की दिनांक 16.06.1982 को आवेदक एवं उसके भाई दीपक के नाम भूमि क्रय की गयी	

थी, जिसका नामान्तरण राजस्व अभिलेखों आवेदक के भाई दीपक के नाम भूमिस्वामी दर्ज कागजात इन्द्राज किया गया। उक्त भूमि को वर्ष 1994-95 के खसरा में अनावेदक द्वारा हल्का पटवारी से मिलकर शासकीय दस्तावेज खसरा में कांट-छांट करके निगरानीकर्त्ता द्वारा अपना नाम इन्द्राज करा लिया। वर्ष 1999-2000 के खसरे में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आवेदक का नाम वर्ष 1998-99 तक दर्ज नहीं था वर्ष 1998-99 तक प्रार्थी का नाम लेख था। आवेदन स्वीकार कर निगरानीकर्त्ता का नाम विलोपित कर अनावेदक धर्मेन्द्र कुमार नाम लेख किया जाये। उक्त आवेदन पर तहसीलदार, दतिया के द्वारा प्रकरण दर्ज कर आवेदक को तलब कर प्रकरण में हल्का पटवारी से रिपोर्ट मंगाये जाने हेतु आदेश पत्रिका लेख की गई, जिस पर हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश की गई किन्तु निगरानीकर्ता को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, निगरानीकर्त्ता को प्रकरण की जानकारी होने पर दिनांक 09.03.2016 को उपस्थित हुए और जबाव हेतु समय चाहा एवं आदेश पात्रिका में यह भी लिखा कि निगरानीकर्त्ता को दस्तावेज आवेदन की नकल प्राप्त नहीं दिलवाई

जावे, जिस हेतु दिनांक 15.03.2016 नियत की गयी तहसील दतिया के कार्य–व्यवहार से निगरानीकर्त्ता को ऐसा लगा वह किसी भी तरह निगरानीकर्ता के विरुद्ध आदेश पारित करना चाहता है इस कारण निगरानी कर्ता द्वारा प्रकरण में विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु प्रकरण माननीय न्यायलय राजस्व मण्डल ग्वालियर के समक्ष दिनांक 18.03.2016 को प्रस्तुत किया जिसपर प्रकरण क्रमांक 929/दो/2016 दर्ज किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा तहसीलदार दतिया के प्रकरण को तलब करने का आदेश पारित कर मांग पत्र भेजा। उक्त माँग पत्र की प्रति तहसीलदार दतिया को प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की गयी किन्तु इसके बावजूद उनके द्वारा आदेश दिनांक 26.03.2016 पारित करते हुये आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने हेतु आदेश पारित कर दिया इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक आनन्द कुमार उर्फ धर्मेन्द्र के साथ उसके भाई दीपक कुमार जिसने

तहसीलदार दतिया के न्यायालय में स्वंय को धर्मेन्द्र बताते हुये आवेदन प्रस्तुत किया। जबकि आनन्द उर्फ धर्मेन्द्र एवं दीपक कुमार के द्वारा मुकेश नारायण सक्सेना से चले प्रकरण में तहसीलदार दतिया के प्रकरण क्रमांक 13/अ–63अ/2012–13 में दीपक कुमार एवं आनन्द उर्फ धर्मेन्द्र कुमार ने अपना वकालत नामा प्रस्तुत किया। वर्ष 2008–09 मे अनुविभागीय अधिकारी दतिया के न्यायालय में मुकेश नारायण सक्सेना द्वारा दीपक कुमार एवं आनन्द कुमार के विरूद्ध इसी वादग्रस्त भूमि को लेकर अपील प्रस्तुत की है। उक्त अपील प्रकरण क्रमांक 44/2008–09 में दिनांक 28.12.2012 को अनुविभागीय दतिया के द्वारा मुकेश नारायण सक्सेना की अपील निरस्त कर दी गयी। जिसके संबंध में माननीय न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया और अपीली प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा कई आदेश पारित किये जिसमें एक आदेश दिनांक 27.09.2010 एवं आदेश दिनांक 23.08.2011 जो पक्षकारो के असंयोजन के संबंध में पारित किये गये थे जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जो प्रकरण क्रमांक 762/2012–13 मुकेश नारायण सक्सेना

विरूद्ध दीपक कुमार में दिनांक 16.12.2014 को अपील प्रचलन योग्य न होने से निरस्त की गयी दीपक कुमार द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपी भी निकलवाई थी जिसके आधार पर दीपक कुमार यह जानकारी थी कि जो पिता द्वारा दिनांक 26.06.1982 को दीपक कुमार एवं धर्मेन्द्र के नाम भूमि क्रय की थी धर्मेन्द्र कुमार ही आनन्द कुमार राय है जिसके संबंध में हल्का पटवारी द्वारा आनन्द कुमार उर्फ धर्मेन्द्र का नाम लेख करने में कोई त्रुटि नहीं की अगर ऐसा होता तो वर्ष 2001 से दीपक कुमार आनन्द उर्फ धर्मेन्द्र कुमार के साथ वादग्रस्त भूमि को लेकर कई प्रकरण राजस्व न्यायालय में लड़ चुका है कुछ समय कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की निगरानी कर्ता ने यह भी लेख किया है कि उसके पिता रामस्वरूप के तीन संताने अनूप कुमार, आनन्द उर्फ धर्मेन्द्र एवं दीपक राय के अलावा अन्य पुत्र संतान नहीं है जिसके संबंध में ग्राम कुडराया के निर्वाचन नामाबली वर्ष 2013 की प्रमाणित प्रतिलिपी जिसमे दीपक एवं दीपक की पत्नी श्रीमती रेखा एवं रामस्वरूप के सभी वारिसानो के नाम है जिसमें आनन्द राय का नाम है। लेकिन धर्मेन्द्र के नाम का कोई व्यक्ति नहीं है

दीपक राय ने म.प्र. शासन के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में झांसी नगर भाग संख्या 53 मोहल्ला आजाद गंज की वोटर लिस्ट में अपना नाम एवं अपनी पत्नी का नाम लेख कराया है। जो अपने आप में एक अपराध है दीपक कुमार द्वारा अपनी पत्नी के नाम से दिनांक 28.12.2012 को झांसी उत्तर प्रदेश में एक प्लॉट क्रय किया जिसमें अनावेदक दीपक राय गवाह के रूप मे लेंख है जिस व्यक्ति द्वारा तहसीलदार दतिया के न्यायालय में दिनांक 25.09.2015 को धर्मेन्द्र कुमार बनकर आवेदन प्रस्तुत किया है जिसका वास्तविक नाम धर्मेन्द्र है यदि दीपक राय इसकी जॉच तहसीलदार को करना चाहिये थी क्योंकि तहसीलदार दतिया के न्यायालय में उपस्थित धर्मेन्द्र राय जो वर्तमान में दीपक कुमार के नाम से शासकीय प्राथमिक विद्यालय ग्राम कुमरौआ तहसील पिछोर जिला शिवपुरी में सहायक शिक्षक पद पर पदस्थ है जिसने तहसीलदार दतिया से मिलकर अपने नाम को निगरानी कर्ता के स्थान पर धर्मेन्द्र बताते हुये आदेश पारित कराया जबकि तहसीलदार दतिया को उक्त आवेदन पत्र पर दीपक कुमार पुत्र रामस्वरूप को अगर कोई व्यक्ति है तो उसे तलब करना चाहिये था क्योंकि विवादित विक्रय पत्र

दीपक कुमार एवं धर्मेन्द्र कुमार के नाम

से लेख किया गया था इस कारण क्रय की गयी भूमि दो व्यक्तियों के नाम राजस्व अभिलेखो में नामान्तरित होनी चाहिये थी किन्तु दीपक ने अपने आप को धर्मेन्द्र बताकर सम्पूर्ण रकवा अपने नाम कराने का आदेश पारित करा लिया है। तहसीलदार दतिया ने उन दस्तावेजो का परीक्षण नहीं किया जिसके आधार पर धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन का निराकरण होना था। और न ही निगरानी कर्ता को जबाव प्रस्तुत करने एवं सुनवाई करने का अवसर दिया गया। निष्पादित किये गये विभिन्न विक्रय पत्र जो दीपक कुमार ने आनन्द उर्फ धर्मेन्द्र कुमार के साथ मिलकर निष्पादित किये थे। जिन दस्तावेजो को पेश करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आनन्द कुमार ही धर्मेन्द्र राय है और दीपक कुमार पुत्र रामस्वरूप राय आनन्द्र कुमार उर्फ धर्मेन्द्र का भाई है और अगर वह दीपक न होकर धर्मेन्द्र है तो वही व्यक्ति दीपक बनकर शासकीय नौकरी कर रहा है। जो सरकार के साथ दोखा कर रहा है ऐसे व्यक्ति के पक्ष में तहसीलदार दतिया द्वारा जो आदेश पारित किया है वह अपने आप में अवैध एवं शून्य है।

प्रकरण में संलग्न विक्रय पत्र खसरा एवं राजस्व न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किये गये आदेशों से यह स्पष्ट हो चुका है कि दीपक कुमार जो अपने आप को धर्मेन्द्र बता रहा है जिसे इस बात की जानकारी मुकेश नारायण सक्सेना के साथ प्रचलित प्रकरण एवं उक्त भूमि पर कब्जा लेख कराने के संबंध में वर्ष 2001 मे चले प्रकरण में इस बात की जानकारी हो गयी थी कि खसरे आनन्द कुमार का उपनाम आनन्द कुमार उर्फ धमेन्द्र कुमार लेख हो चुका है इस कारण तहसीलदार दतिया को धारा 5 म्याद अधिनियम के आवेदन पत्र पर प्रकरण निरस्त कर देना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि क्रय की गयी भूमि दो व्यक्तियो द्वारा क्रय की गयी थी और दो व्यक्तियों द्वारा ही 1/3 भाग को सुधा लेम्पस इंडस्ट्रीज आदि कम्पनियों को विक्रय की गयी थी वह दूसरा व्यक्ति कौन है अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना दस्तावेजो को देखे अनावेदक को अनुचित लाभ पहुचाने के उद्देश्य दिनांक 26.03.2016 को गलत एवं त्रुटि पूर्ण आदेश पारित किया है जो उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है

और निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश अपास्त करते हुये हल्का पटवारी ग्राम कुडराया को आदेशित किया जाता है कि आदेश दिनांक 26.03.2016 के पूर्व की भांति आनन्द उर्फ धर्मेन्द्र कुमार पुत्र रामस्वरूप का नाम राजस्व अभिलेख एवं कम्प्यूटर में दर्ज करे और उक्त कार्यवाही के संबंध में थाना प्रभारी जिगना को आदेशित किया जाता है कि वह दीपक कुमार के संबंध में जॉच कर गलत पाये जाने पर आपराधिक प्रकरण की कायमी करें उक्त प्रकरण समाप्त कर दाखिल अभिलेख हो।

सदस्य